तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज केशवदेव बनाम दानसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17/06/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 18/06/2025 को पेश हो।	
18/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि. उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 204/2024

1. केशव देव
2. मुरारी लाल पुत्रान रामबाबू जाति वैष्य निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. दानसिंह
2. हरिआम पुत्रान प्रताप सिंह
3. सरमन पुत्र महादेवा समस्त जाति जाट निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट अप्रार्थीगण

दिनांकः—18.06.2025

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता रामबाबू पुत्र मक्खन की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 222/0.05हे0 वाके ग्राम फतेहपुर में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता रामबाबू की मृत्यू हो चुकी है उनकी मृत्यू के वाद प्रार्थीगण विधिक वारिसान है व उक्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा स्वामित्व है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर वादीगण वहैसीयत खातेदार मौके पर आज तक निर्बाध रूप से उपयोग करते चले आ रहे है एवं इस समय भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा है। उक्त आराजी के मध्य से उच्चैन भरतपुर रोड से जुडा पश्चिम एक आम रास्ता जो ग्राम जयचौली को जाता है बना हुआ है। जो कि प्रार्थीगण की सहमति से ही बना था। उस रास्ता के तरफ दक्षिण में धर्मशाला व मन्दिर बना हुआ है तरफ उत्तर में कुआ व कुछ खाली जगह है। प्रार्थीगण की इस आराजी के तरफ उत्तर चपंटा आराजी ख0नं0 221 स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन मकान के रूप में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का आज तक किसी प्रकार का लेना देना नहीं रहा है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.12.2024 को प्रार्थीगण की आराजी में बने रास्ते के तरफ उत्तर की सम्पूर्ण आराजी को घेरते हुए नींव खोदकर पक्का निर्माण करना शुरु कर दिया है तथा आराजी के कुछ हिस्से पर पत्थर डाल दिये है। जब प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 17.12.2024 को वहां जाकर अप्रार्थीगण का विरोध किया तो उन्होंने प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का आराजी खसरा नम्बर 222 व गत खसरा नम्बर 196 है और अप्रार्थीण का खसरा नम्बर हाल 221 व गत 195 है और सायलान के पिता उस पुराने खसरा नम्बर पर गैरखातेदार जबकि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 195 पर खातेदार रिकार्ड में है। ग्राम जयचौली को जाने वाली सडक आराजी खसरा नम्बर 196 व 195 के मध्य जो मेड थी उस पर होकर निकाली गई थी और उसकी चौडाई भी वावत् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमियों की आवप्ति की गई थी और ले आउट प्लान नक्शा बनाया गया था जिस खसरा नम्बर की जितनी भूमि सडक में गई थी उसकी उसकी उतनी ही राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई भूमि के वदले मुआवजा राशि मिली थी। प्रार्थीगण की आराजी ग्राम जयचौली जाने वाली सडक की दक्षिण दिशा में है जवकि अप्रार्थीगण की आराजी जयचौली जाने वाली सडक की उत्तरी दिशा में है और अप्रार्थीगण का अर्सा करीव 30 वर्ष पूर्व से पक्का मकान बना हुआ था और अब वह पक्का मकान सडक उच्चैन से भरतपुर जाने वाली सडक की उंचाई हो जाने की वजह से काफी नीचा हो गया है तव मजवूरीवश गैरसायलान को पुराने वने पक्के मकान को उंचा कराने के लिए कार्य कर रहे थे परन्तु गांव में पार्टीवाजी होने की वजह से उसे रूकवा रहे है जवकि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस को सुना गया। अभिभापक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वाकै ग्राम फतेहपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। प्रार्थीगण की आराजी से चपेटा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 221 स्थित है जो कि गैर मुमकिन नलची राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजी से होकर एक आम रास्ता गांव जयचौली तक जाता है जिसके तरफ उत्तर की सम्पूर्ण आराजी को घेरते हुये अप्रार्थीगण नींव खोदकर एवं पक्का निर्माण कर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभापक अप्रार्थीगण ने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 222 गैर मुमकिन धर्मशाला है एवं ग्राम जयचौली को जाने वाला रास्ता न तो प्रार्थीगण की आराजी के मध्य से होकर जाता है और ना ही प्रार्थीगण की सहमति से बना था। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 222 एवं खसरा नम्बर 221 के मध्य जो डौल बनी थी उस पर होकर एवं दोनों आराजी से कुछ आराजी लेकर सार्वजनिक विभाग द्वारा बनाया गया था एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा जिस खातेदार की जितनी जमीन गई थी उसका मुआवजा दिया गया था एवं उक्त मुआवजे की राशी प्रार्थीगण के पिता को मिली थी। अतः रास्ते के तरफ उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की कोई आराजी शेष नहीं रहती है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के आधार पर प्रार्थीगण उक्त आराजी में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद करवाया जाना चाहा है। इस प्रकार प्रकरण में मजवूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सवूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अव प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। चुंकि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण उक्त आराजी में काविज है। यदि विवादित आराजी की मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के वारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनका निधन हो चुका है एवं विवादित आराजी पर प्रार्थीगण रामवावू के विधिक वारिसान होने की हैसियत से काविज है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमावंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजवूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र जारी कर पावंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 222/0.05है0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें एवं मौके की यथास्थिति वनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)